



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224518
CG-DL-E-18012021-224518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

No. 205]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2021

का.आ. 225(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-कलक्टर (भूमि अर्जन), सूर्या परियोजना, डहाणु, पालघर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी

ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : पालघर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	पालघर	पालघर	(1) खैरापाडा	12 भाग	0.0038
				75 भाग	0.4612
				74 भाग	0.2711
			(2) बोईसर	26 (नया)	0.0350
				56 (पुराना)	
				गावठाण	0.0300
			(3) उमरोली	120 भाग	0.0643
				310 भाग	0.3858
				311 भाग	0.1860
				309 भाग	0.1858
				308 भाग	3.6768
				302 भाग	0.1795
				301 भाग	0.0023
				299 भाग	0.4666
				300 भाग	0.1666
				298 भाग	0.3129
				291 भाग	0.0468
				294 भाग	0.1654
				295 भाग	0.1226
			(4) नवली	56 भाग	0.0100
				78 भाग	0.0100

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2108]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. और सु./स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2021

S.O. 225(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector (Land Acquisition), Surya Project, Dahanu, Palghar, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project of Western Dedicated Freight Corridor in Palghar district in the State of Maharashtra.

Name of the District – Palghar

Serial Number	Name of District	Taluka	Name of Village	Survey Number	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Palghar	Palghar	(1) Khairapada	12 part	0.0038
				75 part	0.4612
				74 part	0.2711
			(2) Boisar	26 (New)	0.0350
				56 (old)	
				Gaothan	
			(3) Umroli	120 part	0.0643
				310 part	0.3858
				311 part	0.1860
				309 part	0.1858
				308 part	3.6768
				302 part	0.1795
				301 part	0.0023
				299 part	0.4666
				300 part	0.1666
				298 part	0.3129
				291 part	0.0468
				294 part	0.1654
				295 part	0.1226
			(4) Navali	56 part	0.0100
				78 part	0.0100

[F. No.2020/LML-II/12/1/WC/2108]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A/SD)